कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :– 407 दिनांक :– 11.4.19

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :– इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड हेतु 184.23 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 843 दिनांक 03.04.2019

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आपके अनुमोदनोपरान्त प्राप्त प्रस्ताव में 184.23 हे0 (99.27 हे0 वनभूमि एवं 84.86 हे0 जंगल–झाड़ी) वनभूमि अपयोजन प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों की समीक्षोपरान्त पाई गई त्रुटियों के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त अभिलेख/सूचना अविलम्ब समर्पित करते हुए इस संबंध में वस्तुस्थिति शीघ्र स्पष्ट किया जाय :–

1. प्रस्ताव के साथ जंगल–झाड़ी भूमि के उपयोग हेतु उपायुक्त, बोकारो का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पार्ट–II के बिन्दु–11 पर अपयोजन हेतु प्रस्तावित 99.27 हे0 अधिसूचित वनभूमि में से 89.43 हे0 पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लघंन प्रतिवेदित किया गया है। परन्तु 84.86 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लघंन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी हैं।

   विदित हो कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा पूर्व में मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील लि0 द्वारा वनभूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो (गोपनीय शाखा) पत्रांक–02 मु0/गो0 दिनांक 29.06.2012 के पत्र को संलग्न किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील लि0 के प्लांट अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि में कुल 372.90 एकड़ भूमि जंगल–झाड़ी के रूप में दर्ज है। उपायुक्त, बोकारो के उक्त पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में अंचल अधिकारी, चास तथा अंचल अधिकारी, चन्दनक्यारी के प्रतिवेदन में प्लॉटवार जंगल–झाड़ी भूमि दर्शाया गया है।

   अतः अपयोजन हेतु प्रस्तावित 84.86 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लघंन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पार्ट–II के बिन्दु–13 पर गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के अधीन चयनित CA land से संबंधित ग्रामों का नाम की सूची में **पत्थरटांड़, गम्हारटांड़, गिद्धाटांड़, सोनरे, महुवार तथा करहरबाड़ी** का नाम अंकित करते हुए संबंधित ग्रामों का DGPS map/shape file एवं Toposheet location upload किया गया है। परन्तु, वन संरक्षक, बोकारो द्वारा अपने प्रासंगिक अग्रसारण पत्र में गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के अधीन चयनित CA land हेतु अलग ग्रामों का नाम **पारसबनी, अंगँया, मंझलाडीह, पीहरा, मनीमहोडर एवं महुवार** का उल्लेख किया गया है तथा संबंधित ग्रामों का नक्शा संलग्न किया गया है। इस विरोधाभाष का परिमार्जन आवश्यक है। तद्नुरूप ही बिन्दु–13 (i), (ii) एवं (iii) पर संशोधित अभिलेख upload किया जाना अपेक्षित है।
4. लोहरदगा वन प्रमंडल के अधीन क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 4 ग्रामों में चयनित 65.743 हे0 क्षेत्रफल में से मात्र 18.00 हे0 पर वनरोपण किये जाने हेतु 18.00 हे0 पर 19800 पौधा के रोपण हेतु प्राक्कलन संलग्न किया गया हैं, जबकि भारत सरकार के वर्तमान

दिशा–निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 65.743 हे0 क्षेत्रफल पर 1000 पौधें/हे0 के मापदण्ड के अनुसार 65743 पौधों के रोपण हेतु प्रस्तावित किया जाना था। अतः स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप लक्षित पौधों के रोपण हेतु संशोधित क्षतिपूरक वनरोपण प्राक्कलन संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

5. CA land का uploaded KML file पर CA स्थल चिन्हित (marked) नहीं है।
6. Part-II के बिन्दु–16 पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के uploaded recommendation में 4 शर्त्तें वर्णित की गयी है, जबकि hard copy में उपलब्ध कराये गये recommendation में 5 शर्त्तें अंकित की गयी है, वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा इसे स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है।
7. Part-I के बिन्दु–K पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जंगल–झाड़ी भूमि से संबंधित निर्गत FRA certificate की प्रति upload किया जाना अपेक्षित है, जिससे विदित हो कि FRA की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।
8. Part-I के बिन्दु–L (iv).1(c) पर CA land का uploaded KML file marked नहीं है तथा बिन्दु–L (iv).1(f) पर CA land ownership से संबंधित अभिलेख में परियोजना का नाम पताल ईस्ट कोल परियोजना वर्णित है। अतः इस परियोजना से संबंधित अभिलेख upload किया जाना अपेक्षित है।
9. Part-I के बिन्दु–L (iv).2(c) पर CA land का uploaded KML file marked नहीं है।

अतः अनुरोध होगा कि विषयक प्रस्ताव की समुचित समीक्षोपरान्त उपरोक्त बिन्दुओं पर अपेक्षित सुधार करते हुए वांछित अभिलेख/निराकरण प्रतिवेदन अपने मंतव्य सहित अविलम्ब समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

11.04.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।